[2017] 2 एस.सी.आर 491

राजस्थान राज्य

बनाम

फतेहकरन मेहदू

(आपराधिक अपील संख्या 216/2017)

03 फरवरी, 2017

[न्यायमूर्तिगण रंजन गोगोई एवं अशोक भूषण]

एकल पीठ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 592/2009 में राजस्थान उच्च न्यायालय अधिकारिता की जोधपुर पीठ में दिनांक 16.11.2010 के निर्णय एवं आदेश से

के साथ

आपराधिक अपील सं. 217/2017

एस.एस. शमशेरी, अति.महा.अधि, अमित शर्मा, प्रतीक यादव, अंकित राज, सुश्री रुचि कोहली, अपीलार्थी हेतु अधिवक्तागण।

जगदीप धनखड़, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनील कुमार जैन, कौशिक चौधरी, पुण्य गर्ग, अनीश कुमार गुप्ता, चंद्र शेखर सुमथ, आर. के. राजवंशी, सुश्री दीपशिखा भारती, प्रत्यर्थीगण हेतु अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया

न्यायमूर्ति अशोक भूषण

1. अनुमति अनुदत्त।

2. ये दोनों अपीलें जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 16.11.20 के समान निर्णय के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें एकल पीठ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 592/200 फतेहकरण मेहदू बनाम राजस्थान राज्य और एकल पीठ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या

598/2009 किशन सिंह रावत बनाम राजस्थान राज्य को अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति प्रदान करने वाले अपने आदेश द्वारा, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक मामले, उदयपुर द्वारा पारित दिनांक 05.05.2009 के आदेश को अपास्त कर दिया, जिसमें दोनों प्रत्यार्थीयों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (घ) एवं 13(2) सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के तहत आरोप विरचित किए गए थे।

3. इन अपीलों में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो अभिलेख पर सामग्री से सामने आए हैं। दोनों अपीलें प्रथम सूचना आख्या संख्या 342/2001 और आरोप विरचित करने वाले आदेश दिनांकित 05.05.2009 से उद्भूत हुई हैं, तथ्य सामान्य होने के कारण, आपराधिक अपील सं. ... @ वि.अनु.या. (आप.) सं. 3998/2011 राजस्थान राज्य बनाम फतेहकरण मेहदू से तथ्यों को संदर्भित करना पर्याप्त होगा।

4. प्रत्यर्थी, फतेहकरण मेहदू वर्ष 1997-98 में राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले की तहसील बिजोलिया में खनन अभियंता के रूप में काम कर रहा था। श्रीमती सुषमा देवी ने राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 (इसके बाद नियम 1986 के रूप में संदर्भित) के अनुसार एक खनिज (बलुआ पत्थर) के लिए खदान लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। प्लॉट संख्या 1181/डी 124 सहित विभिन्न भूखंडों में नयनगर में स्थित खातेदारी भूमि के लिए खदान लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया गया था। उन्होंने 1,75,000- रुपये का एक बैंकर चेक दिनांकित 23.4.1998 जमा किया और 4.95 हेक्टेयर (30 बीघा और 12 बिसवा) के लिए खदान लाइसेंस श्रीमती सुषमा देवी धाकड़ और श्री मनोज कुमार संध्या के नाम पर दिनांक 06.05.1998 को तैयार किया गया था। यह देखकर कि दिनांक 06.05.1998 पर जारी खदान लाइसेंस में विभिन्न कटिंग हैं, उसने फतेहकरण मेहदू से संपर्क किया और उसे नया लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंस सौंप दिया। श्रीमती सुषमा देवी से सभी कागजात लेने के बाद श्री मेहदू ने उन्हें नया लाइसेंस जारी नहीं किया, जबकि श्रीमती सुषमा देवी ने खनन कार्य शुरू किया था। दिनांक 18.07.1998 पर श्री के. के. बोड़ा ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और सुषमा देवी को यह कहते खनन गतिविधियों को रोक दिया कि उनके पक्ष में कोई खदान लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। दिनांक

11.08.1988 को खनन अभियंता फतेहकरण मेहदू ने श्रीमती सुषमा देवी को खनन गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश दिया; फतेहकरण मेहदू को अगस्त 1998 में तहसील बिगोलिया से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया।

5. खदान लाइसेंस जारी न किए जाने से व्यथित सुषमा देवी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 166/1999 दायर की, जिसे नियम 1986 के तहत अपील दायर करने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के कारण दिनांक 08.03.1999 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। श्रीमती. सुषमा देवी ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की और अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 29.04.1999 के आदेश के माध्यम से अपील की अनुमति दी और श्रीमती सुषमा देवी के खदान लाइसेंस को बहाल कर दिया।

6. दूसरी ओर, श्री किशन सिंह रावत को, खंड संख्या 263 ए और 264 ए में गैप-भूमि पर खदान लाइसेंस भी दिया गया था जिसमें एक शर्त थी कि उक्त अनुमोदन भूखंड संख्या 1345/1185/124 के बाहर प्रभावी नहीं होगा। प्लॉट सं. 1185/124 प्लॉट सं. 1181/124 के दक्षिण की ओर स्थित था, जिसे श्रीमती सुषमा देवी के खदान लाइसेंस में शामिल किया गया था।

7. किशन सिंह रावत ने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर दिनांक 23.06.1998 को खातेदारी भूमि सं. 1238/125 के सहमति पक्षकार के खिलाफ सुषमा देवी को खनन कार्य करने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। एक अन्य मुकदमा सं. 1181/24 किशन सिंह द्वारा दिनांक 13.7.1998 को प्लॉट सं. 1181/124 के खातेदारों के खिलाफ दायर किया गया था जिसमें उन्हें 3 बीघा क्षेत्रफल वाले प्लॉट सं. 1345/1185/124 पर खनन कार्य में हस्तक्षेप करने से रोका गया था।

8. उदयपुर के भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक फतेहकरण मेहदू के खिलाफ प्रारंभिक जांच सं. 7/2000 करने के बाद फतेहकरण मेहदू और किशन सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) और 13(2) और भा.दं.सं. की धारा 120 ख के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

9. जाँच करने के बाद एक आरोप-पत्र सं. 208/2005 दिनांकित 24.10.2005 प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर ने दिनांक 05.05.2009 के आदेश के माध्यम से दोनों

प्रत्यर्थियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) और भा.दं.सं. सी. की धारा 120 ख के साथ पठित धारा 13(1)(घ) के तहत आरोप विरचित किए है। दिनांक 05.05.2009 के आदेश के माध्यम से व्यथित होकर, फतेहकरण मेहदू ने की एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 592/2009 दायर की और किशन सिंह रावत ने एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 598/2009 दायर की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांकित 16.11.2010 के आदेश के माध्यम से उस पुनरीक्षण की अनुमति देने वाले आदेश दिनांकित 05.05.2009 को रद्द कर दिया जिसके खिलाफ ये दोनों अपीलें राजस्थान राज्य द्वारा दायर की गई हैं।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी के खिलाफ अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आरोप विरचित किए हैं और उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विरचित किए गए आरोपों में हस्तक्षेप करके त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दं.प्र.सं. की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग कर विरचित आरोपों को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था। अभिलेख पर रखी सामग्री से यह साबित हो गया है कि प्रत्यर्थी मेहदू ने श्री किशन सिंह रावत को अवैध खनन को जारी रखने में सहायता प्रदान की थी जिससे उन्होंने राजस्थान राज्य के साथ-साथ श्रीमती सुषमा देवी की हानि पर अवैध लाभ प्राप्त किए थे। सुषमा देवी को दिया गया खदान लाइसेंस मेहदू द्वारा रद्द कर दिया गया था ताकि किशन सिंह रावत को भूखंड पर अवैध खनन करने में मदद मिल सके जो सुषमा देवी के खदान लाइसेंस में शामिल था। श्री मेहदू ने एक लोक सेवक होने के नाते धारा 13 (1) (घ) के साथ सहपठित धारा 13(2) के तहत अपराध किया है।

11. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के निवेदन का खंडन करते हुए तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने वैध आधारों पर आरोप विरचित करने वाले आदेश को अपास्त कर दिया है क्योंकि विशेष न्यायाधीश के समक्ष ऐसा कोई आरोप नहीं था जिस पर यह कहा जा सके कि धारा 13(1) (घ) के साथ सहपठित 13(2) और 120 ख के तहत कोई भी अपराध बनाया गया था। श्री मेहदू के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 80,000 वर्ग फुट की खदान का लाइसेंस किशन सिंह रावत को दिया था जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि किशन सिंह रावत को केवल 25,000 वर्ग फुट का खदान

लाइसेंस स्वीकृत किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री मेहदू द्वारा श्रीमती सुषमा देवी का लाइसेंस रद्ध किया जाना उपरोक्त धाराओं के अर्थ के भीतर किसी भी अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है और अपीलीय अधिकरण का आदेश जो रद्ध करने के आदेश को अपास्त करता है से यह कोई धारणा नहीं बनती है कि श्री मेहदू द्वारा कोई अपराध किया गया था।

12. इससे पहले कि हम संबंधित प्रतिविरोध की जांच करने के लिए आगे बढ़ें उससे पहले प्रत्यर्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति का पता लगाने के लिए आरोप-पत्र पर गौर करना आवश्यक है। आरोप-पत्र को संलग्नक क-9 रूप में दर्ज किया गया है। प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप-पत्र में दर्ज कुछ आरोपों पर ध्यान देंना प्रासंगिक है। आरोप-पत्र में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है:-

> *"जबकि यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित है कि प्लाट सं. 1345/1185/124 का क्षेत्रफल तीन बीघा 52272 वर्ग फुट है जबकि श्री फतेहकरण मेहदू, माइनिंग इंजीनियर, बिजोलिया ने 80,000 वर्ग फुट की गैप फैट के रूप में मंजूरी दी है। इस प्रकार, श्री फतेहकरण मेहदू, माइनिंग इंजीनियर ने श्री किशन सिंह रावत के साथ मिलकर 52272 वर्ग फुट की जगह 80,000 वर्ग फुट भूमि की उपलब्ध भूमि के लिए मंजूरी दी जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से श्रीमती सुषमा देवी के प्लाट सं. 1181/124 में आगे बढ़कर श्री किशन सिंह रावत को मिलीभगत से भूमि दी गई है जो पड़ोस में स्थित है"*

13. इसके अलावा किशन सिंह रावत और श्रीमती सुषमा देवी को खदान लाइसेंस देने से संबंधित तथ्यों पर ध्यान देने के बाद निम्नलिखित बताया गया:-

> *"जाँच के द्वारा यह पाया गया कि श्री किशन सिंह रावत के प्लॉट स. 1185/124 पर वर्षों तक अवैध खनन किया गया। वर्ष 1997 में खनन इंजीनियर ने गुप्त तरीके से अनुचित लाभ प्रदान करने की दृष्टि से गैप फैट नीति के तहत मिलीभगत से राज्य सरकार के पक्ष में 5 बीघा में से 3 बीघा भूमि को सौंप दिया और बिना नाम के दर्ज किया कि गैप फैट की उपरोक्त नीति के तहत अनुमोदित किया जा सके। नियमों के तहत पट्टा केवल बिना नाम की भूमि पर ही दिया जा सकता है। इस प्रकार समर्पित की गई भूमि के विरुद्ध प्लाट*

सं. 1345/1185/124 दी गई और शेष खातेदार संपत्ति सं. 1185/124 की शेष दो बीघा भूमि दी गई थी जिसे वर्तमान में धीरू पुत्र लिंबू भील निवासी सुरादिया तहसील ब्यावर के नाम पर खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज किया गया है जो कि किशन सिंह रावत का पैतृक गाँव है। प्लॉट सं. 1185/124 के साथ रकबा 2 बिघा भूमि को खातेदारी के रूप में भी दर्ज किया जाता है इसलिए गैप फैट नीति के तहत गैप फैट अनुमति नहीं दी जा सकती है लेकिन कार्यालय की फाइलों में खनन इंजीनियर ने प्लॉट सं. 1345/1185/124 रकबा 3 बीघा अनुमोदित है, जिस प्रविष्टि के संबंध में खदान लाइसेंस पर विशेष शर्त के साथ किया गया था परन्तु तकनीकी नक़्शे में प्लॉट सं. 1185/124 के साथ अनुमोदन बताया गया था ताकि यदि कभी भी माप किया जाए तो उसे तकनीकी नक़्शे के अनुसार पाया जा सके और उसी के अनुसार श्री किशन सिंह रावत को अवैध लाभ मिलता रहे। मौके पर श्री किशन सिंह रावत वर्तमान समय में प्लाट सं. 1185/124 के साथ रकबा 2 बीघा भूमि पर भी खनन कार्य कर रहे हैं और जब भी माप के लिए प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह विभाग के तकनीकी नक़्शे के आधार पर मंजूरी दिखा सकता है जबकि खदान और फाइलों में केवल प्लॉट सं. 1345/1185/124 जिसका कुल क्षेत्रफल 52472 वर्ग फुट आता है जबकि तकनीकी नक़्शे के अनुसार 80,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल दिखाया गया है। खातेदारी नीति के तहत श्री फतेहकरण मेहदू ने केवल प्लाट सं.1185/124 के दक्षिण में स्थित प्लाट सं. 1181/124 के कार्यकाल धारकों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से श्रीमती सुषमा धाकड़ को जारी खदान लाइसेंस को ठीक करने के नाम पर वापस बुलाकर सभी नियमों का उल्लंघन करके खदान का लाइसेंस रद्ध कर दिया और इस संबंध में लाइसेंस धारकों को जानकारी नहीं दी गई थी"

14. आरोप-पत्र में स्पष्ट आरोप था कि किशन सिंह रावत को खदान का लाइसेंस श्री मेहदू ने किशन सिंह रावत को अवैध रूप से लाभान्वित करने के लक्ष्य और उद्देश्य से दिया था। यह आगे कहा गया है कि हालाँकि प्लाट सं. 1345/1185/124 क्षेत्रफल 3 बीघा पर खदान लाइसेंस के लिए मंजूरी दी गई थी जिसका कुल क्षेत्रफल केवल 52,272 वर्ग फुट है जबकि तकनीकी

नक़्शे में किशन सिंह रावत को बेईमानी से लाभ पहुँचाने हेतु क्षेत्रफल 80,000 वर्ग फुट दिखाया गया था।

15. आरोप-पत्र और अभिलेख पर अन्य सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए आरोप विरचित किए गए हैं। आदेश के अनुच्छेद 1 में विद्वान विशेष न्यायाधीश ने निम्नलिखित तथ्यों को नोट किया है:-

> *"1. यह ध्यान देने योग्य है कि भूमि सं. 1345/1185/124 का कुल क्षेत्रफल तीन बीघा अर्थात 52272 वर्ग फुट है जबकि फतेहकरण मेहदू ने 80,000 वर्ग फुट की मंजूरी गैप फैट क्षेत्र के रूप में जारी की थी और इस प्रकार आरोपी फतेहकरण मेहदू ने किशन सिंह रावत के साथ सांठगांठ की, उसने पड़ोसी सुषमा देवी की भूमि से किशन सिंह रावत को और अधिक भूमि आवंटित करने की कार्यवाही में सांठगांठ की जिस पर प्रथमदृष्टया मामला स्थापित होने पर भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, उदयपुर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मुख्यालय को बिना अवगत कराए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजी जिसके आधार पर प्राथमिकी सं. 342/01 दिनांक 18.09.2001 पर दर्ज किया गया था और जांच के लिए प्राप्त किया गया था।""*

16. अनुच्छेद 2 में आगे आदेश में कहा गया है कि:-

> *"2. जाँच द्वारा यह स्थापित है कि श्रीमती सुषमा देवी, मनोज कुमार संध्या और जिटमल बलाई ने निर्धारित रूप में दिनांक 01.05.1998 पर आवेदन जमा किया। संबंधित खसरा संख्या के भूमि मालिकों ने आवेदकों के पक्ष में अपनी सहमति व्यक्त की ,इसके बाद दिनांक 06.05.1998 पर श्री मेहदू ने खदान लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दी और लाइसेंस जारी किए गए। श्रीमती सुषमा देवी ने दिनांक 08.05.1998 पर खदान लाइसेंस की जांच की तब पता चला कि गंभीर प्रकृति की कमी पाई गई है। उसी समय श्रीमती सुषमा देवी ने उपरोक्त के बारे में खनिज अभियंता फतेहकरण मेहदू से संपर्क किया फिर उन्होंने खदान लाइसेंस में सुधार करने के निर्देश दिए और कार्यालय सहायक सोहनलाल को खदान लाइसेंस और पत्र आदि सौंपे। श्री मेहदू ने अत्यधिक कटिंग का उल्लेख करते हुए श्रीमती सुषमा देवी से नया खदान लाइसेंस जारी करने हेतु सभी कागजात*

लेने के बजाय दूसरे व्यक्ति किशन सिंह को गैरकानूनी रूप से पहुँचाया और उसके साथ मिलीभगत की और लाइसेंस जारी किया|""

17. अनुच्छेद 2 में आगे यह उल्लेख किया गया है:

"*2. श्री फतेहकरण मेहदू द्वारा पारित खदान लाइसेंस के अंतर्गत, श्री किशन सिंह ने तीन बीघा भूमि के स्थान पर पांच बीघा भूमि पर वर्षों तक अनधिकृत खनन कार्य किया, जिसके कारण राज्य सरकार को वार्षिक किराया आदि का नुकसान हुआ और किशन सिंह ने गैरकानूनी लाभ कमाया। उनके साथ की गई साजिश और मिलीभगत के कारण किशन सिंह को मिले लाभ को भूल जाने से यह स्थापित हुआ कि श्री फतेहकरण मेहदू ने किशन सिंह रावत को नियमों के विपरीत या अंतराल के रूप में भूमि आवंटित की, जिसके कारण वर्तमान आरोप पत्र धारा 13 (1) (डी) के साथ सह-पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के तहत दायर किया गया था जिसमें लाभार्थी किशन सिंह रावत को भी आरोपी बनाया गया था।"*

18. विशेष न्यायाधीश ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार करने के बाद इस आरोप को नोट किया कि श्री मेहदू ने किशन सिन्घ रावत को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए कुल 52,272 वर्ग फुट क्षेत्र के जगह 80,000 वर्ग फुट 'अंतराल क्षेत्र' के रूप में देने की मंजूरी दी है जिसका निर्णय मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दर्ज करने के बाद किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश ने इसे प्रथमदृष्टया आरोप निर्धारित करने का स्पष्ट मामला माना है। आदेश के अनुच्छेद 6 से निष्कर्ष निकालना प्रासंगिक है। आदेश के अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित कहा गया है:

"*अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्टया आरोप यह विरचित किया गया है कि भूमि संख्या 1185/एफ 124 के दक्षिणी हिस्से में स्थित भूमि संख्या 1181/124 के खतेदारों को नुकसान पहुँचाने के इरादे*

से, जिस पर श्रीमती सुषमा धाकड़, श्री फतेहकरण मेहदू को लाइसेंस जारी किया गया था, इसे संशोधित करने के बहाने उन्होंने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए खदान के लाइसेंस को रद्द कर दिया और इसकी जानकारी लाइसेंस धारकों को नहीं दी गई। श्री मेहदू ने विवादों को मौके पर ही निपटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने बिना किसी स्वीकार्य सीमांकन के पक्षों को लाइसेंस जारी किया और बिना प्रक्रिया अपनाए रद्द कर दिया। भूमि सं. 1185/125 और 1181/124 के बीच प्रचलित विवाद राजस्व विभाग द्वारा विस्तार से माप करके पहले निपटाया जा सकता था। लेकिन इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया गया, परिणामस्वरूप, किशन सिंह रावत ने तीन बीघा भूमि के स्थान पर भूमि संख्या 1185/124 के पांच बीघा क्षेत्र पर अनधिकृत खनन कार्य शुरू किया है, जिसके कारण राज्य सरकार को वार्षिक किराया आदि का नुकसान हुआ है। जाँच से यह भी स्थापित हुआ है कि फ़तेहखान मेहदू द्वारा श्रीमती सुषमा धाकड़ का खदान लाइसेंस रद्द करने के पीछे श्रीमती धाकड़ के पड़ोसी किशन सिंह रावत को 'अंतराल क्षेत्र' के रूप में भूमि आवंटित कर उसे लाभ पहुँचाने का इरादा था और श्री मेहदू ने किशन सिंह रावत को 'अंतराल क्षेत्र' के रूप में अवैध रूप से आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए भूमि आवंटित कर अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग किया है। यह कानून का सार्वभौमिक सिद्धांत है कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या मामला साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया परीक्षण योग्य बनता है या नहीं। अभियुक्त के विरुद्ध गुण-दोष के आधार पर बनाए गए आरोपों के अंतिम निपटारे की आवश्यकता उक्त स्तर पर नहीं है।"

19. उपरोक्त के आधार पर, क्या उच्च न्यायालय विशेष न्यायाधीश द्वारा 05.05.2009 पर आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने में सही था, इस सवाल का जवाब इन अपीलों में दिया जाना है। उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों को रद्द करने का आधार क्या है, इसका पता उच्च न्यायालय के आदेश से लगाया जाना चाहिए, जिसमें आपराधिक संशोधनों की अनुमति दी गई है।

20. उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध कुछ आरोपों को ध्यान में रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध इस आशय का कोई

आरोप नहीं लगाया गया था कि श्री मेहदू ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी भ्रष्ट या अवैध तरीके से कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। किशन सिंह रावत को किये गए कथित 80,000 वर्ग फुट भूमि के आवंटन के संबंध में, यह प्रथमदृष्टया सही नहीं माना गया क्योंकि संबंधित खनन इंजीनियर ने प्रमाणित किया था कि मेहदू द्वारा किशन सिंह रावत को 80,000 वर्ग फुट की किसी भूमि का आवंटन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 8 और 9 को उद्धृत करना महत्वपूर्ण है जो इस अनुसार हैः

> "*8. बार में उद्धृत उपरोक्त प्रावधानों और निर्णयों को देखने के बाद और दिनांक 05.05.2009 के आदेश के अवलोकन पर, इस न्यायालय को आवेदक या अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाया गया ऐसा कोई आरोप नहीं मिला है कि उसने अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यावान वस्तु या आर्थिक लाभ किसी भी भ्रष्ट या अवैध माध्यम से कोई मूल्यवान धन प्राप्त किया है। यहां तक कि याचिकाकर्ता सं.2 किशन सिंह को कथित रूप से आवंटित 80,000 वर्ग फुट के भूमि का दावा भी प्रथमदृष्टया गलत पाया गया था क्योंकि संबंधित खनन इंजीनियर ने स्वयं प्रमाणित किया कि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता सं.2 किशन सिंह को 80,000 वर्ग किलोमीटर का कोई आवंटन नहीं किया गया था और केवल 25,000 वर्ग किलोमीटर का आवंटन 1997-98 में किया गया था। श्रीमती सुषमा देवी को अपने खदान लाइसेंस को कथित रूप से अवैध रूप से रद्द करने के विरुद्ध खनन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करनी पड़ी और इसमें सफल होना वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1)(डी) के दायरे में कोई आपराधिक आरोप नहीं माना गया है। जाहिर है, ये कार्यवाहियां अर्ध न्यायिक प्रकृति की हैं जो उक्त अधिनियम के तहत खनन इंजिनियर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की जाती हैं और कोई भी त्रुटि जिसे अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा ठीक किया जा सकता है, उक्त प्राधिकरण के विरुद्ध स्थापित आपराधिक आरोप के बराबर नहीं है। इस न्यायालय को रिश्वत लेने का कोई आरोप या उस प्रकृति का कोई अन्य आरोप नहीं मिलता है जो धारा 13 (1) (डी)*

में प्रयुक्त शब्दों के दायरे में आता है; अर्थात् "भ्रष्टाचार या अवैध साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है"।

"9. इस तरह के किसी भी आरोप की अनुपस्थिति में में, यह न्यायालय इस बात को समझने में असफल है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 120 बी के साथ सह-पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) के तहत आरोप कैसे विरचित किया गया है।

21. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष पर आरोपों को रद्द करने के लिए अपने निर्णय को आधार बनाया, जैसा कि अनुच्छेद 8 और 9 में दर्ज है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) जिसके तहत आरोप विरचित किये गए हैं, निम्नलिखित है :

"13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचारः

(1) एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार किया जाना माना जाता है,

(घ) यदि वह,

(i) भ्रष्ट या अवैध माध्यमों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

....

(ख) लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(ग) लोक सेवक के रूप में पद धारण करते समय, किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी सार्वजनिक हित के कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

....

(2) कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक दुराचार करता है, उसे कम से कम एक वर्ष से सात वर्ष तक कि कारावास कि सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।"

22. धारा 13 (2) के साथ सह-पठित धारा 13 (1) (डी) के तहत आरोप विरचित करने के लिए मेहदू के विरुद्ध क्या आरोप हैं, इसका पता आरोप पत्र और अन्य सामग्री से लगाया जाना चाहिए। हम पहले ही श्री मेहदू के विरुद्ध आरोप पत्र में लगाए गए प्रासंगिक आरोपों के साथ-साथ विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा देखे गए तथ्यों को उद्धृत कर चुके हैं। आरोप विरचित करते समय, मेहदू के विरुद्ध आरोप का सार यह है कि उसने किशन सिंह रावत को भूखंड संख्या 1345/1185/124 के तीन बीघा क्षेत्र से सम्बंधित एक खदान लाइसेंस दिया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 52,272 वर्ग फुट है जबकि उन्हें 80,000 वर्ग फुट भूमि की अनुमति दी गई थी। यह भी आरोप है कि मेहदू ने किशन सिंह रावत को उसे दिए गए क्षेत्र की तुलना में बड़े क्षेत्र में अनधिकृत खनन करने देकर सरकार के साथ-साथ श्रीमती सुषमा देवी को हानि पहुंचाई। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान खनन इंजिनियर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि मेहदू ने कभी भी कथित 80,000 वर्ग फुट को मंजूरी नहीं दी थी जिसके संबंध में उच्च न्यायालय ने अपील में दायर संलग्नक ए-11 में दिनांक 13.11.2009 के एक पत्र को आधार बनाया, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा भी अभिलेख पर लिया गया था। उक्त पत्र फतेहकरन मेहदू को उनके इस सवाल के जवाब में संबोधित था कि क्या किशन सिंह रावत को 80,000 वर्ग फुट के लिए खदान का लाइसेंस दिया गया था। उक्त दिनांक 03.11.2009 के पत्र में निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :

"*शीर्षक के संबंध में मांगी गई जानकारी के अनुसार कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री किशन सिंह रावत को अराजी नं 1185/124 मौजा गांव, तहसील बिजौलिया, जिला-भीलवाड़ा में 80,000 वर्ग फुट का कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, प्रतिलिपि देना संभव नहीं है। वर्ष 1997-1998 में, अराज़ी संख्या 1185/124 के प्लॉट संख्या 263 ए और 264 ए में खदान लाइसेंस धारक श्री गोपाल सिंह रावत पुत्र श्री अन्ना सिंह रावत निवासी सूरदिया तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राजस्थान)*

को अनुमति दी गई और कुल 12500-12500 वर्ग फुट का खदान लाइसेंस दिया गया। उक्त खदान लाइसेंस किशन सिंह रावत पुत्र देवी सिंह रावत निवासी सुरदिया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राजस्थान) के नाम पर हस्तांतरित किया गया था, जो वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

23. प्रत्यर्थीगण ने किशन सिंह रावत को दिए गए खदान लाइसेंस की प्रति को संलग्नक ए-3 और ए-4 के रूप में रिकॉर्ड में लाया है जो इंगित करता है कि दो खदान लाइसेंस 12500 वर्ग फुट के लिए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय श्री मेहदू के खिलाफ आरोप के सार का विज्ञापन करने में विफल रहा, जैसा कि हम पहले ही आरोप-पत्र से देख चुके हैं कि श्री मेहदू ने हालांकि प्लॉट संख्या 1345/1185/124 में केवल तीन बीघा गैप भूमि के लिए खदान लाइसेंस दिया था, लेकिन श्री मेहदू द्वारा जारी तकनीकी नक़्शा 80,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में था, जो कि किशन सिंह रावत के लिए वास्तव में उन्हें आवंटित किए गए क्षेत्र की तुलना में बड़े क्षेत्र में अनधिकृत खनन करने का एक स्रोत था।

24. आरोप-पत्र में निम्नलिखित का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है:

" ..... मौके पर श्री किशन सिंह रावत वर्तमान समय में भूखंड संख्या 1185/124 कॉम. पर खनन कार्य भी कर रहे हैं। रकबा 2 बीघा भूमि और जब भी माप के लिए सवाल उठता है तो वह विभाग के तकनीकी नक़्शे के आधार पर मंजूरी देता है, जबकि खदान और फाइलों में अनुमति केवल भूखंड संख्या 1345/1185/124 को दी जाती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 52472 वर्ग फुट आता है, जबकि तकनीकी नक़्शे क्षेत्र के अनुसार 80,000 वर्ग फुट दिखाया गया है।

25. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि जब तक मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक आरोप का अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने तकनीकी नक़्शे पर ध्यान नहीं दिया है जिसमें 80,000 वर्ग फुट का उल्लेख है और उस आरोप को स्वीकार किए बिना, त्रुटिपूर्ण कहा है कि ऐसा कोई आरोप नहीं है जो अधिनियम की धारा 13(1)(घ) और 13(2) के अर्थ के भीतर आता हो। विशेष न्यायाधीश के आरोप-पत्र और आदेश दोनों में विशेष रूप से आरोपों का उल्लेख किया गया है, जो स्पष्ट रूप से रोकथाम और भ्रष्टाचार अधिनियम,

1988 की धारा 13(1)(घ) और 13(2) और दं.प्र.सं. की धारा 120 ख के तहत अपराध बनाता है।

26. दं.प्र.सं. की धारा 397 के तहत हस्तक्षेप और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दायरे को इस न्यायालय द्वारा बार-बार समझाया गया है। इसके अलावा, दं.प्र.सं. की धारा 397 के तहत हस्तक्षेप का दायरा भी एक स्तर पर, जब आरोप तय किया गया था, तो यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है। आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय का संबंध आरोप के सबूत से नहीं है, बल्कि उसे सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना होगा और एक राय बनानी होगी कि क्या इस बात का दृढ़ संदेह है कि आरोपी ने कोई अपराध किया है, जिस पर अगर मुकदमा चलाया जाए, तो उसका अपराध साबित हो सकता है। आरोप तय करना एक चरण नहीं है, जिस स्तर पर अपराध का अंतिम परीक्षण लागू किया जाना है। इस प्रकार, यह मानना कि आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को एक राय बनानी चाहिए कि अभियुक्त निश्चित रूप से अपराध करने का दोषी है, कुछ ऐसा रखना है जो न तो स्वीकार्य है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के अनुरूप है।

27. अब, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत अधिकार क्षेत्र की सीमा पर वापस लौटते हुए। जो न्यायालय को किसी मामले में की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए एक अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों को बुलाने और उनकी जांच करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट दोष या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि या कार्यवाही में आई विकृति को ठीक करना है।

28. ***अमित कपूर और रमेश चंदर और अन्य (2012) 9 एस. सी. सी. 460*** में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी है, जहां दं.प्र.सं धारा 397 का दायरा है। पर संक्षेप में विचार किया गया है और समझाया गया है। पैरा 12 और 13 इस प्रकार हैं:

> "*12. संहिता की धारा 397 न्यायालय को किसी मामले में की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए एक अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड की मांग और जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट दोष या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि*

को ठीक करना है। एक ठोस स्थापित त्रुटि होनी चाहिए और न्यायालय के लिए आदेशों की जांच करना उचित नहीं हो सकता है, जो इसके समक्ष सावधानी का संकेत देता है। और कानून के अनुरूप प्रतीत होता है। यदि कोई इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को देखता है, तो यह पाता है कि पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है जहां चुनौती के तहत निर्णय पूरी तरह से गलत हैं, कानून के प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं है, दर्ज किया गया निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी की जाती है या न्यायिक विवेक का मनमाने ढंग से या विकृत रूप से प्रयोग किया जाता है। ये संपूर्ण वर्ग नहीं हैं, बल्कि केवल सूचक हैं। प्रत्येक मामले को उसके गुणागुण के आधार पर निर्धारित करना होगा।

"13. एक अन्य सर्वमान्य मानदंड यह है कि उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है और इसका नियमित तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अंतर्निहित प्रतिबंधों में से एक यह है कि यह एक अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से ही प्रत्यक्ष रूप से अन्याय नहीं होना चाहिए। जहां न्यायालय इस सवाल से निपट रहा है कि क्या किसी मामले में आरोप ठीक से और कानून के अनुसार तय किया गया है, तो वह अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक हो सकता है जब तक कि मामला काफी हद तक उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आता है। यहां तक कि आरोप तय करना दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही में काफी उन्नत चरण है।

29. न्यायालय ने पैरा 27 में अपना निष्कर्ष दर्ज किया है और धारा 397 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विचार किए जाने वाले सिद्धांतों को निर्धारित किया है, विशेष रूप से दं.प्र.सं. की धारा 228 के तहत बनाए गए आरोप को रद्द करने के संदर्भ में पैरा 27, 27(1), (2), (3), (9), (13) निम्नानुसार उद्धृत हैं:

"27. इन दो प्रावधानों, अर्थात् संहिता की धारा 397 और धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे और अधिकार क्षेत्र के अंतर की बारीक रेखा पर चर्चा करने के बाद, अब हमारे लिए उन सिद्धांतों

को सूचीबद्ध करना उचित होगा जिनके संदर्भ में न्यायालयों को ऐसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। हालाँकि, इस तरह के सिद्धांतों को सटीक रूप से बताना न केवल कठिन है, बल्कि स्वाभाविक रूप से असंभव है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के सर्वोत्तम और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर, हम अधिकार क्षेत्र के उचित प्रयोग के लिए विचार किए जाने वाले कुछ सिद्धांतों को निकालने में समर्थ हैं, विशेष रूप से, संहिता की धारा 397 या धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोप को अभिखंडित करने के संबंध में या, जैसा भी मामला हो:

27.1) यद्यपि संहिता की धारा 482 के तहत न्यायालय की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जितनी अधिक शक्ति होगी, इन शक्तियों को लागू करने में उतनी ही अधिक सावधानी बरतनी होगी। आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की शक्ति, विशेष रूप से, संहिता की धारा 228 के संदर्भ में बनाए गए आरोप का प्रयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में।

27.2) न्यायालय को यह परीक्षण लागू करना चाहिए कि क्या मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से लगाए गए अनियंत्रित आरोप प्रथमदृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं या नहीं। यदि आरोप इतने स्पष्ट रूप से बेतुका तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है।

27.3) जहां आपराधिक अपराध के मूल तत्व संतुष्ट नहीं हैं, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। यह विचार करने के लिए कि क्या मामला आरोप तय करने या आरोप को अभिखंडित करने के चरण में दोषसिद्धि में समाप्त होगा या नहीं, साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं है।

27.9) न्यायालयों को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी होगी कि वे यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर तथ्यों, साक्ष्यों और सामग्रियों की जांच नहीं कर सकते हैं कि क्या पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर मामला दोषसिद्धि में समाप्त होगा; न्यायालय मुख्य

रूप से उन आरोपों से संबंधित है जो समग्र रूप से लिए गए हैं कि क्या वे एक अपराध का गठन करेंगे और, यदि ऐसा है, तो क्या यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जिससे अन्याय होता है।

27.13) आरोप को अभिखंडित करना निरंतर अभियोजन के नियम का एक अपवाद है। जहाँ अपराध व्यापक रूप से भी संतुष्ट है, वहाँ न्यायालय को उस प्रारंभिक चरण में इसे अभिखंडित करने के बजाय अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने के लिए अधिक इच्छुक होना चाहिए। न्यायालय से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह दस्तावेजों या अभिलेखों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता तय करने की दृष्टि से अभिलेखों का संचालन करे, लेकिन यह प्रथम दृष्टया बनाई गई राय है।

30. उपरोक्त परीक्षणों को लागू करते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.05.2009 के आदेश द्वारा तय किए गए आरोपों को अपास्त करने में त्रुटि की है। परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है और दिनांक 05.05.2009 के आदेश को बहाल किया जाता है। विद्वान विशेष न्यायाधीश विचारण के साथ कानून के अनुसार शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं।

अपील स्वीकृत हुई।

राम शर्मा